मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 3 / 08 / 2018

क्रमांक F 19-2 / 2018 / 38-2

प्रति,

कुलसचिव
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट जिला-सतना।

विषयः- सी.एम.सी.एल.डी.पी. के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में शासन के समान योजनाओं / छात्रवृत्तियों को प्रदान करने की क्रियाविधि के संबंध में।

संदर्भः-(1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश कमांक एफ 19-2 / 2018 / 38-2 दिनांक 11.06.2018.

(2) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश का पत्र कमांक 865 / 410 / आउशि / योजना / 18, भोपाल दिनांक 04.06.2018।

संदर्भित आदेश कमांक 1 के द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा दूरस्थ अध्ययन पद्धति से संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) में पंजीकृत विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के समतुल्य मानते हुये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में निर्धारित पात्रता एवं शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में सत्र 2018-19 लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी है। संदर्भित पत्र कमांक 2 से आयुक्त, उच्च शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की संचालित योजनाओं हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सतना को अधिकृत किया गया, जिसे अधिकमित करते हुये संपूर्ण प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

1. विश्वविद्यालय के जिले एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित केन्द्रों में संचालित पाठ्यकमों को विश्वविद्यालय से संवद्ध (MAP) किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित केन्द्रों के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यार्थी सुविधा पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय के संबंधित अध्ययन केन्द्र अपने विद्यार्थियों के आवेदनों का परीक्षण कर विश्वविद्यालय को ऑनलाईन ही अग्रेषित करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा आवेदन के तथ्यों का परीक्षण एवं सत्यापन करते हुये छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा स्वीकृत की गयी छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों के आधार नं. के माध्यम से उनके अध्ययन के केन्द्र के जिले वाले अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारों के अंतर्गत किया जायेगा।
4. वर्तमान में उच्च शिक्षा द्वारा संचालित गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों और स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय, स्मार्ट फोन प्रदाय योजनाओं में लाभ दिया जाना है।

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर...

भोपाल, दिनांक 3/08/2018

पृ.क्रमांक 1 19-2 /2018/38-2

प्रतिलिपिः—

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा।
3. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
5. राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना के प्रदेश स्तर पर संचालित केन्द्रों को विद्यार्थी सुविधा पटल पर ऑनबोर्ड करते हुए संलग्न प्रकियानुसार पोर्टल पर तकनीकी प्रावधान किये जाने हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालक निदेशक, जनअभियान परिषद भोपाल।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश।
8. समस्त प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. संचालनालय के आईटी सेल/छात्रवृत्ति शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आगामी कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग